

पत्र के पश्चात भी अधिकांश डाक प्रेषण प्रयोग पत्र  
 U/S 212 सि.अ.व. पेश नहीं किया गया। न्यायालय सभ्य  
 के दौरान बार-बार मकसू-मकसू कर अवकाश शर्तों  
 पर लेकिन प्रति. सं. 1/193 के आर से कोर उपस्थित  
 नहीं हुआ। अतः प्रति. सं. 1/193 के जवाब आंद किए जाते हैं।  
 वास्ते बाह्य प्रार्थना पत्र पंजावली विभाग  
 26/7/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जवाब  
 फलोदी

26/7/19 वास्ते बाह्य प्रार्थना पत्र U/S 212 सि.अ.व. पंजावली  
 विभाग 29/7/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एच. वी. पाण्डेय दण्डनायक  
 (फास्ट ट्रेक) फलोदी

29/7/19 पंजावली पेश हुई।  
 उक्त प्रार्थना पत्र 212 सि.अ. के अन्तर्गत  
 पंजावली को अदालत के अदालत भारत में खारिज  
 किया जा चुका। अन्तर्गत पंजावली के खारिज हो  
 जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र 212 सि.अ.  
 वास्ते खारिज नहीं है अतः प्रार्थना पत्र  
 212 सि.अ. को खारिज किया जाता है तथा  
 दिनांक 30/06/19 को जारी अन्तर्गत अन्तर्गत  
 निवेदन के आदेश को अमान्य किया जाता है।  
 पंजावली के मूल शुमार दोकर नंबर  
 से एक कर दोकर अन्तर्गत पंजावली के साथ  
 किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एच. वी. पाण्डेय दण्डनायक  
 (फास्ट ट्रेक) फलोदी